

[भारत के राजपत्रित, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप) खण्ड-i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 64 /2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

9 श्रवण, शक, 1942

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2020

सा.नि.का.____ (अ).-सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 की धारा 54 की उप- धारा (1) और धारा 143 क क के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.** - (1) इन विनियमों को ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, -

(i) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, उपवाक्य (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“(ख) “प्राधिकृत वाहक” से अभिप्राय किसी ऐसे समुद्री वाहक, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर या संरक्षक से है जो विनियम 3क के अंतर्गत पंजीकृत हो;

(ख क) “प्राधिकृत समुद्री वाहक” से अभिप्राय उस जलयान के मालिक से है जिससे आयातित माल या निर्यात माल या तटीय माल की ढुलाई हो रही हो या उसके किसी एजेंट/या अन्य व्यक्ति से हैं जिसे केन्द्रीय सरकार ने ऐसे जलयान के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया हो;

(ख ख) “प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर” से अभिप्राय ऐसे ट्रेन ऑपरेटर से है जो की आयातित माल या निर्यात माल का वाहन कर रहा हो;

(ख ग) “संरक्षक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया हो;”;

(ii) विनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“3क. पंजीकरण. – (1) प्राधिकृत वाहक को इन विनियमों के परिशिष्ट के रूप में दिये गये फॉर्म-II में पंजीकरण के लिए अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क के यहाँ आवेदन करना होगा।

(2) जहाँ अधिकार क्षेत्र वाला प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, फॉर्म-II में भरे गए आवेदन में दी गयी सूचना से संतुष्ट है तो वहाँ वह ऐसे आवेदक के पंजीकरण को, ऐसे पंजीकरण को जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए इन विनियमों के अंतर्गत अपना कारोबार करने के लिए, अनुमोदित करेंगे।

(3) अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, ऐसी प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पहले ऐसे पंजीकरण की समीक्षा करेगा और वह ऐसे पंजीकरण को एक बार में पाँच वर्ष की और अवधि के लिए और किसी प्राधिकृत इकनॉमिक ऑपरेटर के मामले में दस वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(4) सी कार्गो मॅनिफेस्ट और ट्रांशिपमेंट रेग्युलेशनस, 2018, के विनियम 3 के अंतर्गत प्राधिकृत वाहक के लिए यह माना जाएगा कि वह इन विनियमों के अंतर्गत भी पंजीकृत है।”

(iii) विनियम 4 में, उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: –

“(क) नेपाल को भेजे जाने वाले कार्गो और नेपाल में अंतिम गंतव्य पतन की घोषणा अराइवल मॅनिफेस्ट में करेगा, यदि उसे सी कार्गो मॅनिफेस्ट और ट्रांशिपमेंट रेग्युलेशनस, 2018 में ऐसा करना जरूरी हो तो;”

(iv) “फॉर्म”, को अब “फॉर्म-I” कहा जाएगा और इस “फॉर्म-I” के बाद निम्नलिखित “फॉर्म-II” को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“फॉर्म- II

(देखे विनियम 3 क)

पंजीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम पेरमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) का ब्योरा सहित: -

(यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो फ़र्म के प्रत्येक साझीदार या कंपनी के प्रत्येक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का नाम)

2. आवेदक की श्रेणी (समुद्री वाहक, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर, शिपिंग लाइन या संरक्षक):-

3. संपर्क का ब्योरा:-

फोन नंबर:-

ईमेल पता: -

4. आवेदक का पूरा पता: -

(यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो फ़र्म के प्रत्येक साझीदार या कंपनी के प्रत्येक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का पूरा पता)

5. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता: -

(यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो, इसके साझीदार या साझीदारों निदेशक या निदेशकों या उन विधिवत प्राधिकृत कर्मचारियों का नाम जो ट्रांशिपमेंट की घोषणा को भरने में वास्तविक रूप से संलग्न हो) ।

6. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जो ट्रांशिपमेंट की घोषणा को भरने में वास्तविक रूप से संलग्न होंगे: -

7. आवेदक के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों का ब्योरा, यदि कोई हो: -

8. संलग्नक: -

क) अनुबंध, या

ख) समझौता ज़ापन, या

ग) करार, जो कि प्राधिकृत कराने वाले विदेशी एजेंट के साथ हुआ हो, की प्रति।

मैं/ हम, एतदद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं की उपर्युक्त पैराग्राफ में कही गयी बातें मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है।

दिनांक: -

स्थान: -

आवेदक/ आवेदकों के हस्ताक्षर”

[फा.सं. 554/02/2014-एलसी]

(आनंद राधाकृष्णन)

उप सचिव भारत सरकार

टिप्पणी प्रधान :अधिसूचना संख्या 68/2019- सीमाशुल्क (.टै.गै), को सा .नि .का .704(अ) , दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।